25/3/25

पत्रावली पेश हुई। आज स्थानीय बार एसोसियेशन का कार्य स्थगन किया हुआ है। पीठासीन अधिकारी अन्य राजकीय कार्य में व्यस्त है। पत्रावली अग्रिम आदेश दिनांक 23/6/25 को पेश हो।

23/6/25 आज्ञा से रीडर

25/6/25 [illegible] दिनांक 13/2/25 [illegible] अधिनियम 1956 की धारा [illegible] 212 के अन्तर्गत विचाराधीन तहसील [illegible] की पत्रावलियां [illegible] सुनवाई जारी हुई है। उक्त प्रकरणों में समस्त पक्षकारान को वास्ते सुनवाई तलब किया जाकर कार्यवाही की जाती है। माननीय उपखण्ड अधिकारी भीलवाड़ा से अंतरित उक्त पत्रावलियों का उक्त क्रम से निस्तारण किये जाने हेतु एवं जनहितार्थ राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956 की धारा 216 के अन्तर्गत शक्तियों का उपयोग करते हुए आदेशित किया जाता है कि उक्त उक्त पत्रावलियों में पक्षकारान किये जाने एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण किये जाने हेतु केन्द्र कोर्ट दिनांक 25/6/25 को आगामी 25/6 पेश हुई। पक्षकारान उपस्थित/अनुपस्थित पत्रावली वास्ते सुनवाई दिनांक 17/7/25 को पेश हो।

-- सहायक कलेक्टर भीलवाड़ा

17/7/25

पत्रावली पेश हुई। वादी अभिभाषक उप. वादी/प्रार्थी अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत मूल वाद में 2025/386 उनवान खाता बनाम मोहनराम NM Pass किये जाने से प्राश्रित किया जा चुका है। प्रार्थी अभिभाषक द्वारा प्रार्थना पत्र की आदेशिका पर NM Pass अंकित किये जाने से प्रार्थना पत्र में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं रहने से प्राश्रित किया जाता है। पत्रावली में निर्णय खोल उपलब्ध सुनाया जाता। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो तथा नम्बर से कम हो।

17/7/25

सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा